

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 19, 2016/वैशाख 29, 1938

No. 153]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 2016/ VAISAKHA 29, 1938

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2016

संख्या 37/1/(VIII)/2016/टी.—राष्ट्रपति का दिनांक 19 मई, 2016 का निम्नलिखित आदेश सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

“संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा लोक सभा का सत्रावसान करता हूँ।

19 मई, 2016

प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रपति”

अनूप मिश्र, महासचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2016

No. 37/1/(VIII)/2016/T.— The following order by the President dated the 19th May, 2016 is published for general information:-

“In exercise of the powers conferred upon me by sub-clause (a) of clause (2) of article 85 of the Constitution, I hereby prorogue the Lok Sabha.

May 19, 2016

PRANAB MUKHERJEE, President”

ANOOP MISHRA, Secy. General

2541 GI/2016